GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
DISTRICT SCORE MUZAFFARPUR
COURT FEE
Authorization No. 2217

भारत INDIA STAMP DUTY 00000 ... 374152 Zero Zero Zero Zero Two Zero

बिहार JUDICIAL 15 / 2014 BIHAR

NOTARY MOHAN PRASAD KESHRI A-MUZAFFARPUR WEST Regd. No.-A/A, F 6/90 GOVT. OF BIHAR

WELFARE STAMP BIHAR FIVE RUPEES Rs.5

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)

Book No. 02 Serial No. 15

13/04/14

15- मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग--क

मैं श्रवण कुमार झा **पुत्र/पुत्री/~~पत्नी~~ लक्ष्मी नारायण झा आयु 30 वर्ष, जो ग्रा. पो. राजखंड, थाना - औराई जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार) (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं स्वतंत्र (**~~राजनैतिक दल का नाम~~) द्वारा खडा ~~किया गया अभ्यर्थी~~/**एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रुप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 15 मुजफ्फरपुर / 89- औराई (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 22 के क्रम सं 707 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9234269347 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

AMBPK 0887G - आयकर विवरणी Assesment year 2013-14 संलग्न है (अनुलग्नक -I)

NOTARY MOHAN PRASAD KESHRI A-MUZAFFARPUR WEST Regd. No.-A/A, F 6/90 GOVT. OF BIHAR 13/04/14

श्रवण कुमार झा

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AMBPK0887G	2013-14	223241.00
2.	प्रति या पत्नी	BYEPK5473Q	.	
3.	आश्रित–1	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
4.	आश्रित–2	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
5.	आश्रित–3	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नालिखत मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं।
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं।
(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं।

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
MUZAFFARPUR WEST
Rgd. No.-A/A, P 6/99
GOVT. OF BIHAR
19/04/1[illegible]

श्रवण कुमार [illegible]

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं।
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं।

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं।
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं।
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं।

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
Regd. No.-A/A, F 6/90
GOVT OF BIHAR
13/04/

श्रवण कुमार भगत

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितो की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ जगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों मे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित – 1	आश्रित – 2	आश्रित – 3
(i)	हाथ में नकदी	40546/-	12,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	20000/-	20000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	सहाराइंडिया 20000/-	शून्य लागू	शून्य	शून्य नहीं	शून्य

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
MUZAFFARPUR WEST
Regd. No.-A/A. B-6/90
GOVT OF BIHAR
19/04/14

ध्रुवा कुमार झा

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य —	शून्य लागू	शून्य	शून्य नहीं	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य —	शून्य लागू	शून्य	शून्य नहीं	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक ,रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साईकिल BR06-1014 वर्ष 2002 11000/-	शून्य लागू	शून्य	शून्य नहीं	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोने का गहना करीब 3 भर 120,000/-	सोने का गहना करीब 3 भर 120000/-	✓ लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य लागू	शून्य नहीं	शून्य लागू	शून्य	नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	211546	152000	शून्य लागू	शून्य	नहीं शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	1 एकड़ 400000/-	लागू	नहीं	लागू	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1 एकड़	लागू	नहीं	लागू	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)		लागू	नहीं	लागू	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	10 जुन 2005	लागू	नहीं	लागू	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	400000/-	लागू	नहीं	लागू	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	लागू नहीं	लागू	नहीं	लागू	नहीं

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
MUZAFFARPUR WEST
Regd. No.-A/A, [illegible]/99
BIHAR

श्रवण कुमार

	विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण सख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य लागू	नहीं शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य				
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण सख्याक (संख्याएं)	जमीन/मकान की कुल कीमत 335000/-	शून्य लागू	शून्य	शून्य नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	880 sq/ft	लागू	नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)				
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)	स्वअर्जित	लागू नहीं		लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	स्वअर्जित	लागू नहीं		लागू नहीं

NOTARY
PRASAD KESHRI
MUZAFFARPUR
Regd. No. 47A, B-8/90
BIHAR
13/04/...

श्रवण कुमार झा

	क्रय की तारीख	मई 2005	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	40000/-	लागू नहीं		लागू नहीं	
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य		लागू नहीं		लागू नहीं	[illegible]
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित –1	आश्रित –2	आश्रित – 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	[illegible] लागू	नहीं	[illegible]	लागू	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	[illegible] लागू		नहीं	लागू	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू	नहीं	लागू	नहीं	
	दायित्यवों का कुल योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू	नहीं	लागू	नहीं	
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू	नहीं	लागू		नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू		नहीं	लागू	नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू		नहीं	लागू	नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू	नहीं	लागू	नहीं	
	आय–कर शोध्य	[illegible]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

NOTARY
... PRASAD KES...
...RPUR WEST...
...A/A, P. 6/90
...HAR

श्रवण कुमार [illegible]

	धनकर शोध्य	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका / संपति कर शोध्य	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध्य	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं........कृषि एवं सहकारी में अभिकर्ता

(ख) पति या पत्नी........गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :–

मैट्रिक - उच्च विद्यालय, शाही मीनापुर 1985

बी.कॉम - ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर - 1992

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

श्रवण कुमार झा

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
A-MUZAFFARPUR WEST
Regd. No.-A/A, B-6/90
GOVT OF BIHAR
13/04/11

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु० श्रवण कुमार झा
2	डाक का पता	ग्रा०-पो०-[illegible]
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	15-मुजफ्फरपुर (बिहार)
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वंतत्र लिखे)	स्वतंत्र
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं।
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं।
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं।

7		.... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AMBPK0887G	2013-14	223241/-
	(ख) प्रति या पत्नी	BYEPK5473Q		
	(ग) आश्रित	लागू	नहीं।	लागू नहीं।

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	211546/-	152006/-	लागू	नहीं।	लागू नहीं।
ख	स्थावर आस्तियां	335000/-	लागू नहीं	लागू	न	हीं

NOTARY MOHAN PRASAD KESHRI MUZAFFARPUR REGT. Regd. No.-A/A, B-8/90 GOVT OF BIHAR 19/08/14

श्रवण कुमार झा

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	लागू नहीं। शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं। शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : मैट्रिक. उच्च विद्यालय, शाही मीनापुर - 1985 बी.कॉम. ललितनारायण तिरहुत महाविद्यालय - 1992 (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
MUZAFFARPUR WEST
Regd. No.-A/A, B-8/90
GOVT OF BIHAR
19-04-15

भूषण कुमार झा

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19.04.2014 को सत्यापित किया गया।

Identified by me
Praveen Kumar
Advt
19/4/2014
Enr. 3211/03

श्रवण कुमार मेहता
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.............................
मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है...
एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है...

NOTARY
MOHAN PRASAD KESHRI
MUZAFFARPUR WEST
Regd. No.-A/A, P 8/90
GOVT OF BIHAR
13/04/14

The Deponent, Solemn...
affirm and declare before

श्रवण कुमार मेहता